रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 162] दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 30, 2015/अग्रहायण 9, 1937 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 152
No. 162] DELHI, MONDAY, NOVEMBER 30, 2015/AGRAHAYANA 9, 1937 [N.C.T.D. No. 152

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिल्ली, 30 नवम्बर, 2015

विधेयक संख्या (16) 2015

दिल्ली जनलोकपाल विधेयक, 2015

सं. 21(16)/जनलोकपाल/2015/वि.स. स.–VI/वि./7209.–इस विचार से कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को दृढ़तापूर्वक 'भ्रष्टाचार मुक्त क्षेत्र' बनाने के प्रति वचनबद्ध है और उसने सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी बहाल करने के सभी प्रयास किए हैं;

अतः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा भारतीय गणराज्य के 66वें वर्ष में निम्नांकित रूप में इसे अधिनियमित किया जाए :–

धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ होने की तारीख

(1) इस अधिनियम को 'दिल्ली जनलोकपाल अधिनियम', 2015 कहा जाएगा।

(2) इसका विस्तार समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर होगा।

(3) यह अधिनियम उस तारीख से प्रवृत्त होगा, जो सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के जरिए नियत की जाएगी।

धारा 2 – परिभाषा

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) "आरोप" का अर्थ है, धारा 2 की उप–धारा (ग) में परिभाषित भ्रष्टाचार का आरोप।

(ख) "मुख्यमंत्री" का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 239कक के खंड (5) के अंतर्गत नियुक्त दिल्ली का मुख्यमंत्री;

(ग) "भ्रष्टाचार" में कोई भी ऐसा कृत्य शामिल है, जो भारतीय दंड संहिता, 1860 के अध्याय–IX या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत दंडनीय हो;

(घ) "दिल्ली" का अर्थ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली;

(ङ) "सरकार" का अर्थ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

(च) "विधान सभा" का अर्थ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा;

(छ) "उप–राज्यपाल" का अर्थ है, संविधान के अनुच्छेद 239 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप–राज्यपाल और जो मंत्री परिषद की सहायता और सलाह से कार्य करेंगे;

(ज) "जनलोकपाल" का अर्थ है धारा 3 के अंतर्गत नियुक्त निकाय और इसमें उसके किसी भी सदस्य का संदर्भ शामिल है;

(झ) "निर्धारित" का अर्थ है इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित;

(ञ) "नियम" का अर्थ है इस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया नियम;

(ट) "विशेष अदालत" का अर्थ है धारा 11छ के अंतर्गत नियुक्त विशेष न्यायाधीश की अदालत;

(ठ) "विसल ब्लोअर" या भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले व्यक्ति का अर्थ है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी सरकारी प्राधिकरण में भ्रष्टाचार के बारे में जनलोकपाल या अन्य व्यक्ति को प्रमाण सहित जानकारी उपलब्ध कराता है, और जो–

(i) वैध स्थानांतरण, पदोन्नति से वंचित किए जाने, उचित सुविधाओं से वंचित किए जाने, विभागीय कार्रवाइयों, भेदभाव सहित परन्तु इतने तक ही सीमित नहीं, बल्कि व्यावसायिक हानि के खतरे का सामना करता/करती है, अथवा

(ii) स्वयं के लिए या अपने परिवार के सदस्यों के प्रति शारीरिक क्षति के खतरे का सामना करता/करती है, अथवा

(iii) इस अधिनियम के अंतर्गत जनलोकपाल से शिकायत करने के कारण वास्तव में कोई नुकसान उठाता है;

धारा 3 – जनलोकपाल की नियुक्ति

(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जांच और पूछताछ के प्रयोजन के लिए, उप–राज्यपाल तीन सदस्यों के एक निकाय की नियुक्ति करेगा, जिसका एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे।

परंतु, यह उपबंधित है कि –

(क) जनलोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्य एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर नियुक्त किए जाएंगे, जिसमें निम्नांकित शामिल होंगे –

(i) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश – अध्यक्ष

(ii) दिल्ली के मुख्यमंत्री – सदस्य

(iii) विधानसभा में विपक्ष के नेता और यदि कोई ऐसा नेता न हो तो विधानसभा अध्यक्ष द्वारा निर्देशित विधि से सदन में विपक्ष के सदस्यों की ओर से चुना गया व्यक्ति – सदस्य

(iv) विधानसभा अध्यक्ष – सदस्य

(ख) जनलोकपाल के अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में कोई नियुक्ति सिर्फ इस कारण से अवैध नहीं समझी जाएगी कि चयन समिति में कोई पद रिक्त था।

(ग) चयन समिति जनलोकपाल के सदस्यों के चयन के लिए स्वयं की प्रक्रिया को नियमित करेगी।

(घ) चयन समिति की सिफारिश उपराज्यपाल के लिए बाध्यकारी होगी, जो चयन समिति की सिफारिश प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम 30 दिन के भीतर जनलोकपाल में सम्बद्ध नियुक्ति करेगा।

(2) कोई व्यक्ति –

(क) जनलोकपाल का अध्यक्ष तब तक नियुक्त नही किया जाएगा, जब तक कि वह भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश न रहा हो।

(ख) जनलोकपाल का सदस्य तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसने लोक प्रशासन, वित्त या अन्वेषण में विशिष्टता, विशेष ज्ञान और विशेषज्ञता प्राप्त करते हुए श्रेष्ठता हासिल न कर ली हो।

(3) जनलोकपाल के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पदभार ग्रहण करने से पहले उप–राज्यपाल या उनकी ओर से नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष, नियमावली में सरकार द्वारा यथानिर्धारित प्रारूप में शपथ या प्रतिज्ञा करनी होगी।

धारा 4 – जनलोकपाल कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा

जनलोकपाल का अध्यक्ष या सदस्य, संसद का सदस्य अथवा किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश की विधायिका का सदस्य नहीं होगा और लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा और वह किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध नहीं होगा या कोई व्यापार संचालित नहीं करेगा या किसी व्यवसायी के रूप में काम नहीं करेगा; और तदनुरूप जनलोकपाल के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति पदभार ग्रहण करने से पहले, –

(क) यदि वह संसद अथवा किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश की विधायिका का सदस्य हो, तो ऐसी सदस्यता से त्यागपत्र देगा; अथवा

(ख) यदि वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत हो, तो ऐसे पद से त्यागपत्र देगा; अथवा

(ग) यदि वह किसी राजनीतिक पार्टी से सम्बद्ध हो, तो उससे नाता तोड़ेगा; अथवा

(घ) यदि वह किसी व्यापार का संचालन कर रहा हो, तो ऐसे व्यापार के संचालन और प्रबंधन से अपने को दूर करेगा (अपने को उसके स्वामित्व से दूर करेगा); अथवा

(ङ) यदि वह व्यवसायी के रूप में काम कर रहा हो, तो ऐसे व्यवसाय को बंद करेगा।

धारा 5 – जनलोकपाल की कार्यावधि और अन्य सेवा शर्तें

(1) जनलोकपाल का अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त किया जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति पदभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेगा और उसके बाद पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परंतु यह उपबंधित है कि –

(क) जनलोकपाल का अध्यक्ष या सदस्य, उप–राज्यपाल को अपने हाथ से लिख कर, अपने पद से इस्तीफा दे सकता है और ऐसा इस्तीफा उप–राज्यपाल द्वारा मंजूर किए जाने के साथ ही प्रभावी समझा जाएगा।

(ख) जनलोकपाल का अध्यक्ष या सदस्य धारा 6 में निर्दिष्ट पद्धति से पद से हटाया जा सकता है।

(2) जनलोकपाल के अध्यक्ष के कार्यालय में मृत्यु, त्यागपत्र, बर्खास्तगी या अन्य किसी कारण से होने वाली रिक्ति की स्थिति में, उप–राज्यपाल, धारा 3 की उप–धारा (2) के खंड (क) में निहित किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, यह निर्देश दे सकता है कि वरिष्ठतम सदस्य जनलोकपाल के अध्यक्ष के रूप में तब तक काम करेगा, जब तक कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जनलोकपाल के नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती और वह पद ग्रहण नहीं कर लेगा।

(3) अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से यदि जनलोकपाल का अध्यक्ष अपने कार्य संचालन में असमर्थ हो, तो उप–राज्यपाल, धारा 3 की उप–धारा (2) के खंड (क) में निहित किसी बात के होते हुए भी, जनलोकपाल के वरिष्ठतम सदस्य अथवा यदि एक से अधिक ऐसे सदस्य हों, तो किसी एक सदस्य को, आदेश द्वारा, यह निर्देश दे सकता है कि वह जनलोकपाल के अध्यक्ष के रूप में तब तक काम करेगा, जब तक कि जनलोकपाल का अध्यक्ष पुनः अपना कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता।

(4) जनलोकपाल के सदस्य को, जब वह जनलोकपाल के अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वाह कर रहा हो, उस अवधि के दौरान, जनलोकपाल के अध्यक्ष के सभी अधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त होंगी और वह जनलोकपाल के संबंध में नियमावली में निर्दिष्ट वेतन, भत्ते और सुविधाएं प्राप्त करने का हकदार होगा।

(5) मृत्यु, त्यागपत्र, बर्खास्तगी या अन्य कारण से जनलोकपाल का पद रिक्त होने पर ऐसी रिक्ति को यथासंभव भरा जाएगा, परंतु इसमें ऐसी रिक्ति होने की तारीख से छह महीने से अधिक का समय नहीं लगेगा।

(6) जनलोकपाल का पद छोड़ने के बाद, व्यक्ति दिल्ली सरकार या भारत सरकार के अंतर्गत किसी नियुक्ति अथवा दिल्ली सरकार या भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण वाली किसी कंपनी, स्थानीय प्राधिकरण, निगम में रोजगार अथवा दिल्ली सरकार या भारत सरकार द्वारा स्थापित किसी सांविधिक आयोग में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यह उपबंधित है कि जनलोकपाल के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में एक कार्यकाल पूरा होने पर, ऐसा व्यक्ति जनलोकपाल के अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में एक अतिरिक्त कार्यकाल के लिए विचार किए जाने का पात्र होगा।

(7) जनलोकपाल के अध्यक्ष या सदस्य का वेतन, भत्ते और पेंशन, तथा अन्य सेवा शर्तें निर्धारित अनुसार होंगी,

परंतु यह उपबंधित है कि –

(क) जनलोकपाल के अध्यक्ष को अदा किए जाने वाले भत्ते और पेंशन तथा अन्य सेवा शर्तें निर्धारित करते समय, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश, जो भी लागू हो, को अदा किए जाने वाले भत्ते और पेंशन तथा अन्य सेवा शर्तों को ध्यान में रखना होगा।

(ख) जनलोकपाल के सदस्य को अदा किए जाने वाले भत्ते और पेंशन तथा अन्य सेवा शर्तें निर्धारित करते समय, दिल्ली में किसी जिला न्यायाधीश अथवा सरकार में सचिव या भारत सरकार में संयुक्त सचिव, जो भी लागू हो, को अदा किए जाने वाले भत्तों और पेंशन तथा अन्य सेवा शर्तों को ध्यान में रखना होगा;

परंतु, यह और भी उपबंधित है कि जनलोकपाल के अध्यक्ष या सदस्यों को अदा किए जाने वाले भत्ते और पेंशन, तथा अन्य सेवा शर्तें उसकी नियुक्ति के बाद उसकी पूर्ववर्ती आय से कम नहीं होंगे।

धारा 6 – जनलोकपाल के अध्यक्ष या सदस्यों की बर्खास्तगी

(1) **जनलोकपाल के अध्यक्ष या किसी सदस्य को** दुराचरण या अक्षमता के कारण तब तक पद से नहीं हटाया जा सकता, जब तक कि उप–राज्यपाल इस आशय का आदेश जारी न करे, और ऐसे आदेश विधानसभा की कुल संख्या के बहुमत और एक ही सत्र में उपस्थित और मतदान में हिस्सा लेने वाले दो तिहाई सदस्यों के बहुमत के समर्थन से पारित प्रस्ताव के बाद जारी किया गया हो।

(2) उप–धारा (1) के अंतर्गत **जनलोकपाल के अध्यक्ष या किसी सदस्य को** दुराचरण या अक्षमता के कारण हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और तत्संबंधी जांच एवं साक्ष्य की प्रक्रिया नियमों में निर्धारित की जाएगी।

धारा 7 – जनलोकपाल द्वारा जांच किए जाने वाले मामले

इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन सरकार की ओर से या जनता के किसी सदस्य से शिकायत प्राप्त होने या अपनी ओर से कार्रवाई करते हुए, जनलोकपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में होने वाले भ्रष्टाचार के आरोप की जांच या अन्वेषण करेगा।

परंतु, आधिकारिक दायित्वों का निवर्हन करने के दौरान किसी लोक सेवक द्वारा नेक नीयत अथवा तकनीकी या प्रक्रियागत भूलों से हुए कार्यों में कोई जांच नहीं की जाएगी।

धारा 8 – जांच के अधीन न आने वाले मामले

जनलोकपाल ऐसे किसी मामले की जांच नहीं करेगा, जो –

(i) जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) के अंतर्गत जांच के लिए सौंपा गया हो; अथवा

(ii) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) के अंतर्गत गठित लोकपाल के पास पहले से जांच के लिए लंबित हो।

धारा 9 – शिकायतों से संबंधित प्रावधान

(1) प्रत्येक शिकायत जनलोकपाल द्वारा निर्धारित प्रारूप में तथा पद्धति से करनी होगी।

(2) इस अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति जानबूझ कर अथवा दुर्भावना से ग्रस्त होकर यदि कोई झूठी शिकायत दर्ज कराता है, तो ऐसे व्यक्ति को दोष सिद्ध होने पर सश्रम कारावास का दंड दिया जायेगा, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकती है या 1 लाख रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है, अथवा दोनों सजाए दी जा सकती हैं।

परन्तु, इस खंड के अंतर्गत कोई अदालत किसी दंडनीय अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगी जब तक कि जनलोकपाल द्वारा या उनके प्राधिकार के अंतर्गत, जो भी लागू हो, कोई शिकायत न की गई हो;

परन्तु, यह और भी उपबंधित है कि साक्ष्य के अभाव में किसी शिकायत पर जनलोकपाल द्वारा कोई कार्रवाई न करने का निर्णय करने अथवा शिकायत को सही सिद्ध करने में विफल रहने की स्थिति में यह नहीं समझा जाएगा कि शिकायत असत्य अथवा दुर्भावनापूर्ण थी।

धारा 10 – जनलोकपाल के जांच और सुनवाई के अधिकार

(1) जनलोकपाल ऐसे अधिकारियों या एजेंसियों को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त या सरकार की सहमति से निर्दिष्ट कर सकता है, जो इस अधिनियम (जिसे बाद में "जनलोकपाल जांच अधिकारी" कहा जाएगा), के अंतर्गत अपराधों की जांच करने के लिए अधिकृत होंगे।

(2) अपराधों की जांच करते समय जनलोकपाल जांच अधिकारी के पास वे सभी अधिकार होंगे, जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अंतर्गत किसी पुलिस अधिकारी के पास जांच करते समय होते हैं।

(3) जनलोकपाल के अध्यक्ष और सभी सदस्य और जनलोकपाल के अन्य सभी अधिकारी, जो जनलोकपाल जांच अधिकारी से वरिष्ठ पदधारी हों, जनलोकपाल जांच अधिकारी के समान अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

(4) इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध की जांच करते समय, जनलोकपाल किसी अन्य कानून के तहत किसी अन्य मामले की जांच करने में भी सक्षम होगा, जो समान मामले का हिस्सा हो।

(5) इस प्रावधान में किसी बात के होते हुए भी, जनलोकपाल, कोई जांच या अन्वेषण संचालित करने के प्रयोजन के लिए, केंद्र सरकार अथवा किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश की सरकार अथवा किसी अन्य सरकार, जो भी लागू हो, के

किसी अधिकारी या जांच एजेंसी की सेवाएं ले सकते हैं। परंतु, यह उपबंधित है कि किसी जांच एजेंसी या विशेषज्ञ जांच एजेंसी से सहायता प्राप्त करने के लिए यदि किसी कानून के अंतर्गत कोई सहमति या अनुमोदन अपेक्षित होगा, तो जनलोकपाल सभी अपेक्षित अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(6) किसी मामले में जांच या अन्वेषण के प्रयोजन के लिए, कोई अधिकारी, या संगठन अथवा एजेंसी, जिसकी सेवाएं उप–धारा (5) के अंतर्गत इस्तेमाल की गई हों, वह जनलोकपाल की देखरेख और निर्देशन के अधीन निम्नांकित मामलों में सिविल अदालत के अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं–

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करना और हाज़िर होने का आदेश देना और उससे पूछताछ करना;

(ख) किसी दस्तावेज की खोज और उसे प्रस्तुत करने का आदेश देना; और

(ग) किसी कार्यालय से कोई रिकॉर्ड या उसकी प्रति की मांग करना।

(7) अधिकारी या संगठन या एजेंसी, जो भी लागू हो, जिसकी सेवाएं उप–धारा (5) के अंतर्गत इस्तेमाल की गई हो, वह जांच या अन्वेषण से संबंधित किसी मामले की जांच करेगा और उसकी रिपोर्ट उतनी अवधि में जनलोकपाल को सौंपेगा, जो उनकी ओर से निर्दिष्ट की गई हो।

(8) जनलोकपाल का प्रत्येक जांचकर्ता अधिकारी 6 महीने की अवधि में जांच कार्य पूरा करेगा।

परन्तु, यदि अपेक्षित हो तो ऐसे अधिकारी या एजेंसी जनलोकपाल से समय सीमा बढ़ाने की अनुमति ले सकता है परन्तु शर्त यह है कि जांच कार्य बारह महीने की अवधि के भीतर पूरा हो जाये।

(9) जांच के निष्कर्ष की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, जनलोकपाल भ्रष्टाचार के कृत्य में लिप्त पाए गए व्यक्ति या व्यक्तियों के खिलाफ इस अधिनियम के अधीन किये गये अपराधों के लिये अभियोग की अनुमति देने पर विचार कर सकता है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1974 का अधिनियम 2) की धारा 197 अथवा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 19 में एक बार अभियोग की अनुमति प्राप्त होने पर इसे जनलोकपाल द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति माना जायेगा।

(10) जनलोकपाल इस अधिनियम के अंतर्गत की गई किसी शिकायत के संबंध में लोकसेवकों के अभियोजन के प्रयोजन के लिए एक अभियोजन स्कंध (विंग) का गठन करेगा और अभियोजन निदेशक तथा उसकी सहायता के लिए अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा।

(11) इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध के संबंध में लोक सेवकों के अभियोजन के बारे में जनलोकपाल के अनुमोदन के बाद अभियोजन निदेशक विशेष अदालत के समक्ष मामला दाखिल करेगा और सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

धारा 11 – आपराधिक प्रक्रिया संहिता की प्रयोज्यता

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के प्रावधान जनलोकपाल द्वारा जांच एवं अन्वेषण की प्रक्रिया के संबंध में यथासंभव लागू होंगे।

धारा 12 – संपत्तियों की अस्थाई कुर्की

(1) जनलोकपाल को जहां कहीं विश्वास का आधार हो, तो उस आधार को विद्यमान सामग्री के आधार पर लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए, जैसे –

(क) किसी व्यक्ति के पास भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति होना;

(ख) ऐसे व्यक्ति पर भ्रष्टाचार से संबंधित अपराध करने का आरोप होना; और

(ग) अपराध की ऐसी संपत्ति को छिपाए जाने, अंतरित किए जाने या ऐसा कोई तरीका अपनाने की आशंका हो, जिसकी परिणिति अपराध से अर्जित संपत्ति की जब्ती पर विपरीत प्रभाव डालने के रूप में सामने आए, तो ऐसी स्थितियों में जनलोकपाल लिखित आदेश देते हुए, ऐसी संपत्ति को आदेश की तारीख से अधिकतम 90 दिन की अवधि के लिए अस्थाई आधार पर कुर्क करने की व्यवस्था कर सकता है। यह कुर्की आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की दूसरी अनुसूची में वर्णित पद्धति से की जाएगी और जनलोकपाल को उक्त अनुसूची के नियम 1 के उप–नियम (ङ) के अंतर्गत एक अधिकारी समझा जाएगा।

(2) जनलोकपाल उप–धारा (1) के अंतर्गत कुर्की के तत्काल बाद, आदेश की एक प्रति, अपने पास उपलब्ध साक्ष्य के साथ, उक्त उप–धारा में वर्णित अनुसार, एक सीलबंद लिफाफे में, निर्धारित तरीके से विशेष अदालत को अग्रसारित करेगा और ऐसी विशेष अदालत कुर्की के आदेश को आगे बढ़ा सकती है और उस संपत्ति को उतनी अवधि के लिए अपने कब्जे में रख सकती है, जो विशेष अदालत द्वारा उचित समझी जाए।

(3) उप–धारा (1) के अंतर्गत दिए गए कुर्की के प्रत्येक आदेश का प्रभाव उक्त उप–धारा में निर्दिष्ट अवधि बीत जाने अथवा उप–धारा (2) के अंतर्गत विशेष अदालत द्वारा निर्देशित अवधि बीत जाने के बाद समाप्त हो जाएगा।

(4) इस धारा के अंतर्गत कोई बात उप–धारा (1) या उप–धारा (2) के अंतर्गत कुर्क की गई अचल संपत्ति के उपभोग में हित रखने वाले व्यक्ति को ऐसा करने से नहीं रोकेगी।

स्पष्टीकरण – इस उप–धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी अचल संपत्ति के संबंध में, "हित रखने वाले व्यक्ति" के अंतर्गत ऐसे सभी व्यक्ति शामिल हैं, जो संपत्ति में किसी हित का दावा करते हों अथवा ऐसा दावा करने के हकदार हों।

धारा 13– परिसंपत्तियों की कुर्की की पुष्टि

(1) धारा 12 की उप–धारा (1) के अंतर्गत किसी संपत्ति को अस्थाई आधार पर कुर्क किए जाने के बाद, जनलोकपाल, ऐसी कुर्की के 30 दिन के भीतर, विशेष अदालत के समक्ष कुर्की से संबंधित तथ्यों का उल्लेख करते हुए एक अर्जी दाखिल करेगा और संपत्ति की कुर्की की पुष्टि उतने समय के लिए करने की प्रार्थना करेगा, जब तक कि विशेष अदालत में उस व्यक्ति के खिलाफ सुनवाई जारी रहे, जिसकी संपत्ति कुर्क की गई हो।

(2) विशेष अदालत जिसके समक्ष ऐसी अर्जी दाखिल की जाएगी, यदि यह राय रखती है, कि अस्थाई आधार पर कुर्क की गई संपत्ति भ्रष्ट तरीकों से अर्जित की गई है, तो उस व्यक्ति, जिसकी संपत्ति जब्त की गई है, के खिलाफ अदालत में सुनवाई पूरी होने तक, संपत्ति की कुर्की की पुष्टि का आदेश जारी कर सकती है।

(3) यदि ऐसा व्यक्ति जिसकी संपत्ति जब्त की गई हो, अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से बाद में बरी हो जाता है, तो संपत्ति, अदालत के आदेश के अधीन, संबद्ध व्यक्ति को कुर्की की अवधि के दौरान संपत्ति से होने वाले लाभों के साथ बहाल कर दी जाएगी।

(4) यदि ऐसा व्यक्ति जिसकी संपत्ति जब्त की गई हो, बाद में किसी अपराध का दोषी सिद्ध होता है, तो ऐसे अपराध से संबंधित आमदनी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) के अंतर्गत जब्त कर ली जाएगी और किसी बैंक या वित्तीय संस्थान के बकाया ऋण को छोड़ कर किसी प्रकार के ऋणभार या पट्टाधारित हित से मुक्त संपत्ति के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में रहेगी।

स्पष्टीकरण – इस उप–धारा के प्रयोजनों के लिए, "बैंक", "ऋण" और "वित्तीय संस्थान" जैसे शब्दों का अर्थ वही होगा, जो इन शब्दों के लिए क्रमशः बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 2 के खंड (घ), (छ) और (ज) में नियत किया गया है।

धारा 14 – भ्रष्ट तरीकों से उत्पन्न या अर्जित परिसंपत्तियों, प्राप्तियों, आमदनियों और लाभों को विशेष परिस्थितियों में जब्त करना

(1) धारा 12 और 13 के प्रावधानों पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, विशेष अदालत जहां कहीं प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर यह विश्वास करने का आधार रखती है या इस बात से संतुष्ट है, कि परिसंपत्तियां, आमदनियां, प्राप्तियां और लाभ, जो भी नाम दिया जाए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) के अंतर्गत परिभाषित भ्रष्ट तरीकों से उत्पन्न या अर्जित की गई है, तो वह ऐसी परिसंपत्तियों, आमदनियों, प्राप्तियों और लाभों को उस समय तक जब्त करने के लिए अधिकृत कर सकती है, जब तक कि किसी अपराध के लिए आरोपित व्यक्ति बरी नहीं हो जाता।

(2) उप–धारा (1) के अंतर्गत जब्ती के आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित या रद्द किए जाने अथवा ऐसा व्यक्ति, जिसकी संपत्ति जब्त की गई हो, अदालत द्वारा बरी किए जाने की स्थिति में उप–धारा (1) के अंतर्गत व्यक्त की गई परिसंपत्तियां, आमदनियां, प्राप्तियां और लाभ उस व्यक्ति को लौटा दिए जाएंगे, और यदि किसी कारण से ऐसी परिसंपत्तियां, आमदनियां, प्राप्तियां और लाभ लौटाना संभव न हो, तो ऐसे व्यक्ति को जब्त की गई वस्तुओं का मूल्य, 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित, जिसकी गणना जब्त करने की तारीख से की जाएगी, लौटाया जाएगा।

धारा 15– भ्रष्टाचार के आरोप के संबंध में किसी लोक सेवक के स्थानांतरण या निलंबन की अनुशंसा करने संबंधी जनलोकपाल के अधिकार

(1) भ्रष्टाचार के आरोपों की प्रारंभिक पूछताछ या जांच करते समय यदि जनलोकपाल, प्रथम दृष्टया, उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर, इस बात से संतुष्ट है –

(i) कि जांच किए जा रहे लोक सेवक के, जांच किए जाने के दौरान उसके पद पर जारी रहने से ऐसी जांच पर विपरीत असर पड़ने की आशंका है; अथवा

(ii) ऐसे लोक सेवक द्वारा साक्ष्य नष्ट किए जाने या किसी तरह से उनके साथ छेड़छाड़ किए जाने अथवा गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका हो,

तो ऐसी स्थिति में जनलोकपाल समुचित सरकार या प्राधिकारी को यह अनुशंसा कर सकता है कि ऐसे लोक सेवक को उसके धारित पद से, आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिए, स्थानांतरित या निलंबित किया जाए।

(2) उप–धारा (1) के अंतर्गत जनलोकपाल द्वारा की गई सिफारिश को समुचित सरकार या प्राधिकारी द्वारा आमतौर पर स्वीकार किया जाएगा, परंतु यदि प्रशासनिक कारणों से ऐसा करना व्यवहार्य न हो, तो इसके लिए उसे लिखित कारण बताने होंगे।

धारा 16 –प्रारंभिक जांच के दौरान रिकॉर्डों को नष्ट करने से रोकने के बारे में आदेश देने संबंधी जनलोकपाल के अधिकार

जनलोकपाल, इस अधिनियम के अंतर्गत अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए, ऐसे लोक सेवक को निम्नांकित के बारे में समुचित निर्देश जारी कर सकता है, जिसे किसी दस्तावेज या रिकॉर्ड को अपनी अभिरक्षा में रखना हो या उसकी तैयारी करनी हो –

(क) ऐसे दस्तावेज या रिकॉर्ड को नष्ट अथवा क्षतिग्रस्त होने से संरक्षित करना; या

(ख) लोक सेवक को ऐसे दस्तावेज या रिकॉर्ड में फेर बदल करने अथवा उसे "गोपनीय" बनाने से रोकना; या

(ग) लोक सेवक को कथित रूप से भ्रष्ट तरीकों के जरिए अर्जित की गई किसी परिसंपत्ति को हस्तांतरित या पृथक करने से रोकना।

धारा 17 – दंड की मात्रा

(1) किसी लोकसेवक के खिलाफ किसी मामले में जांच पूरी होने के बाद, जनलोकपाल किसी शिकायत को निरस्त कर सकता है अथवा ऐसे लोकसेवक के खिलाफ अभियोजन शुरू कर सकता है और/या ऐसे लोकसेवक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू किए जाने की अनुशंसा कर सकता है।

(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (1988 का 49), में निहित किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत परिभाषित और अन्वेषित किसी भ्रष्टाचार कृत्य का दोषी पाए गए व्यक्ति को सश्रम कारावास का दंड दिया जाएगा, जिसकी अवधि 6 महीने से कम नहीं होगी और जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और अत्यंत विकट मामलों में विशेष कारणों का उल्लेख करते हुए आजीवन कारावास और जुर्माना किया जा सकता है।

परंतु, विशेष अदालत समुचित कारण दर्ज करते हुए 6 महीने से कम अवधि के कारावास की सजा दे सकती है।

(3) दंड की घोषणा करते समय विशेष अदालत लोक सेवक के रैंक पर विचार कर सकती है और उच्चतर रैंक धारण करने वाले लोक सेवक को विशेष अदालत अधिक दंड दे सकती है।

(4) यदि किसी अपराध का लाभार्थी कोई व्यापारिक संस्थान हो, तो इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त सजा के अतिरिक्त और/या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) के अंतर्गत सरकारी खजाने को हुए नुकसान का 5 गुना तक, लेकिन पहुंचाई गई क्षति से कम नहीं, जुर्माना किया जा सकता है, जिसकी वसूली दोषी व्यक्ति से की जाएगी, परंतु यदि दोषी व्यक्ति की परिसंपत्तियां पर्याप्त न हों, तो यह वसूली दोषी व्यापारिक संस्थान की परिसंपत्तियों से और ऐसे संस्थान के प्रबंध निदेशकों या निदेशकों से अथवा उसके प्रबंधन एवं नियंत्रण के लिए जिम्मेदार किसी अन्य व्यक्ति से की जा सकती है।

(5) इस अधिनियम के अंतर्गत अथवा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) के अंतर्गत किसी अपराध के लिए कोई कंपनी दोषी पाई जाती है, अथवा उसका कोई अधिकारी या निदेशक दोषी पाया जाता है, तो ऐसी कंपनी को काली सूची में डाल दिया जाएगा और वह भविष्य में कोई सरकारी कार्य या अनुबंध प्राप्त करने की पात्र नहीं होगी और जहां कोई प्रोमोटर या प्रबंध निदेशक इस अधिनियम या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) के अंतर्गत दोषी पाया जाएगा, तो ऐसी सभी कंपनियां काली सूची में डाल दी जाएंगी, जिनमें उक्त प्रोमोटर या प्रबंध निदेशक एक प्रोमोटर या प्रबंध निदेशक हो और वे भविष्य में कोई सरकारी कार्य या अनुबंध पाने की हकदार नहीं होंगी।

धारा 18 – विशेष अदालतों का गठन

(1) सरकार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (1988 का 49) या इस अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न मामलों की सुनवाई और निर्णय करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से जनलोकपाल द्वारा अनुशंसित संख्या में विशेष अदालतों का गठन करेगी।

(2) उप–धारा (1) के अंतर्गत गठित अदालत (अदालतें) या विशेष अदालत (अदालतें) यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक मामले का निपटारा अदालत में मामला दर्ज होने की तारीख से 6 महीने की अवधि में कर दिया जाए।

परंतु, यदि किसी मामले की सुनवाई 6 महीने में पूरी नहीं होती है, तो अदालत या विशेष अदालत लिखित कारण दर्ज करते हुए उससे आगे 3 महीने की अवधि में सुनवाई पूरी करेगी या हर 3 महीने की अवधि की समाप्ति पर लिखित कारण बताते हुए अगले 3 महीने में, परंतु अधिकतम 1 वर्ष की अवधि में सुनवाई पूरी करेगी।

परंतु, यह और भी उपबंधित है कि इस अधिनियम के अंतर्गत जनलोकपाल द्वारा की गई किसी जांच के पश्चात शुरू की गई सुनवाई पर कोई अदालत किसी भी आधार पर रोक नहीं लगाएगी और किसी अदालत को किसी जांच, सुनवाई, अपील या अन्य कार्रवाइयों में पुनर्विचार का अधिकार नहीं होगा।

(3) तेजी से सुनवाई पूरी करने का लक्ष्य हासिल करने के लिए, जनलोकपाल इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित विशेष अदालतों की संख्या का वार्षिक मूल्यांकन करेगा और उप–धारा (1) के अंतर्गत अपेक्षित संख्या में विशेष अदालतें बनाने की सिफारिश सरकार से करेगा।

(4) इस अधिनियम के अंतर्गत मामलों की सुनवाई करने के लिए स्थापित विशेष अदालतों के विशेष न्यायाधीश केवल इस अधिनियम और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) से सम्बद्ध मामलों की सुनवाई करेंगे।

धारा 19 – जनलोकपाल की रिपोर्ट

जनलोकपाल का यह दायित्व होगा कि वह अपने द्वारा किए गए कार्यों के बारे में वार्षिक आधार पर सरकार को रिपोर्ट दे और ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सरकार उस रिपोर्ट की प्रति और तत्संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन विधानसभा के समक्ष रखेगी।

धारा 20 जनलोकपाल का स्टाफ

सरकार जनलोकपाल के परामर्श से इस अधिनियम के अंतर्गत दायित्वों का निवर्हन करने में जनलोकपाल की सहायता के लिए अधिकारी और अन्य कर्मचारी उपलब्ध करा सकती है।

धारा 21 – सूचना की गोपनीयता

इस अधिनियम के अंतर्गत किसी जांच के प्रयोजनों के लिए जांच के दौरान जनलोकपाल या उसके स्टाफ के सदस्यों द्वारा प्राप्त होने वाली कोई जानकारी, और उस जानकारी के संबंध में रिकॉर्ड किया गया या एकत्र किया गया कोई साक्ष्य, गोपनीय समझा जाएगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) में किसी बात के होते हुए भी, कोई अदालत जनलोकपाल या किसी सार्वजनिक पदाधिकारी को इस बात के लिए मजबूर करने की हकदार नहीं होगी; कि ऐसी जानकारी के बारे में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने या रिकॉर्ड अथवा एकत्र किए गए साक्ष्य को प्रस्तुत करने को कहे।

धारा 22 – जनलोकपाल के खाते और लेखा परीक्षा

(1) जनलोकपाल समुचित लेखा एवं अन्य रिकॉर्ड रखेगा और ऐसे प्रारूप में लेखों का वार्षिक ब्यौरा तैयार करेगा जो सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निर्धारित किया गया हो।

(2) जनलोकपाल के खातों की लेखा परीक्षा, निर्दिष्ट अंतरालों के बाद, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी।

(3) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत जनलोकपाल के खातों की लेखा परीक्षा के सिलसिले में उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को ऐसी लेखा परीक्षा के संबंध में समान अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जो आमतौर पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को होते हैं। उसे विशेष रूप से बहियों, खातों, संबद्ध वाउचरों और अन्य दस्तावेज तथा कागजात प्रस्तुत करने की मांग करने तथा जनलोकपाल के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अथवा इस काम के लिए उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सत्यापित जनलोकपाल के खाते, तत्संबंधी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ, हर वर्ष सरकार को अग्रसारित किए जाएंगे और सरकार उन्हें दिल्ली की विधानसभा के समक्ष रखेगी।

धारा 23 – लोक सेवकों के संपत्ति के ब्यौरे

(1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 2 और उप–धारा (ग) में परिभाषित अनुसार सरकार या सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत किसी सांविधिक निगम या अधिकरण या दिल्ली नगर निगम या दिल्ली विकास प्राधिकरण या दिल्ली पुलिस द्वारा नियोजित प्रत्येक लोक सेवक को इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से 3 महीने के भीतर और उसके बाद हर वर्ष 31 जनवरी तक अपने नियोक्ता या उस प्राधिकारी को, जिसे उसकी सेवाएं सौंपी गई हों, परिवार के आश्रित सदस्यों सहित स्वयं की परिसंपत्तियों और देयताओं का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना होगा। यह विवरण जनलोकपाल द्वारा निर्धारित प्रारूप में देना होगा।

स्पष्टीकरण – इस धारा में लोक सेवक के "परिवार" का अर्थ है आश्रित पति/पत्नी, आश्रित बच्चे, आश्रित माता–पिता और लोक सेवक के अन्य आश्रित रिश्तेदार शामिल है।

(2) यदि लोक सेवक द्वारा हर वर्ष 31 जनवरी तक ऐसा ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया जाता, तो सरकारी प्राधिकारी द्वारा उसे दिए जाने वाले वेतन और भत्तों का भुगतान तत्काल प्रभाव से तब तक के लिए रोक दिया जाएगा जब तक कि ऐसा ब्यौरा प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता।

(3) सरकारी प्राधिकरण के प्रमुख अथवा अन्य निर्धारित प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे सभी ब्यौरे सम्बद्ध वर्ष के फरवरी माह के अंत तक विभाग की वेबसाइट पर डाल दिए गए है।

(4) यदि यह पाया गया कि लोक सेवक के पास ऐसी कोई संपत्ति है, जिसका प्रकटीकरण उसने परिसंपत्तियों के विवरण में नहीं किया है, तो ऐसे लोक सेवक को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद जनलोकपाल द्वारा ऐसी संपत्ति को जब्त करने के आदेश दिए जा सकते हैं।

धारा 24 – लोक सेवकों की पुनर्नियुक्ति पर प्रतिबंध और अनुबंधों में पारदर्शिता आदि

कोई लोक सेवक पद छोड़ने के तत्काल बाद से 2 वर्ष तक किसी ऐसे व्यक्ति, निजी कंपनी या प्रतिष्ठान या सार्वजनिक–निजी भागीदारी या संगठन में पुनर्रोजगार प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा, जिसके साथ नौकरी छोड़ने से पिछले 5 वर्ष की अवधि में उसने आधिकारिक क्षमता के भीतर कोई लेनदेन किया हो।

परंतु, इस प्रावधान के संदर्भ में कि लोक सेवक उक्त पुनर्रोजगार कर सकता हैं या नहीं ऐसे संदेह के बारे में जनलोकपाल का निर्णय अन्तिम माना जाएगा।

धारा 25 – जनलोकपाल द्वारा की गई कार्यवाहियों का संरक्षण

(1) इस अधिनियम के अंतर्गत नेक नीयत से किए गए या लक्षित किसी कार्य के संदर्भ में जनलोकपाल या जनलोकपाल कार्यालय के स्टाफ के किसी सदस्य के खिलाफ कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(2) इस अधिनियम में उपबंधित के सिवाय और अन्यथा, जनलोकपाल की किसी कार्रवाई, निर्णय, आदेश या उनके अंतर्गत की गई किसी अनुशंसा सहित किसी रिपोर्ट को, जो भी लागू हो, किसी अदालत या न्यायाधिकरण में चुनौती, समीक्षा, निरस्त, संशोधित अथवा प्रस्तुत करने को नहीं कहा जा सकेगा।

धारा 26 –व्हिसल ब्लोअरों (भ्रष्टाचार को उजागर करने वालों) का संरक्षण

(1) कोई लोक सेवक या कोई अन्य व्यक्ति, जिसके पास किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में भ्रष्टाचार के बारे में कोई जानकारी हो, को इस बात के लिए प्रेरित किया जाएगा कि वह गोपनीय तरीके से जनलोकपाल को वह जानकारी भेजे, और जनलोकपाल ऐसी जानकारी के संदर्भ में जांच करा सकते हैं तथा आवश्यक हो तो इस अधिनियम में वर्णित अनुसार जांच के आवश्यक आदेश दे सकते हैं।

(2) जनलोकपाल व्हिसल ब्लोअरों या भ्रष्टाचार को **उजागर** करने वाले व्यक्तियों को किसी प्रकार की भौतिक हानि या प्रशासनिक उत्पीड़न के खतरे से बचाने के लिए पूर्ण संरक्षण प्रदान करने हेतु आवश्यक आदेश जारी कर सकते हैं। ऐसे व्हिसल ब्लोअरों की पहचान गुप्त रखी जाएगी और यदि व्हिसल ब्लोअर चाहे तो उसे संरक्षित किया जाएगा।

(3) जनलोकपाल ऐसे व्हिसल ब्लोअर को सुरक्षा प्रदान करने के बारे में सरकार को अथवा किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण को उपयुक्त निर्देश देने के लिए सक्षम होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि व्हिसल ब्लोअर को कोई उत्पीड़न न हो।

(4) यदि जांच या अन्वेषण के बाद जनलोकपाल इस बात से संतुष्ट है कि व्हिसल ब्लोअर की शिकायत उचित है, तो इस अधिनियम के अंतर्गत भ्रष्टाचार के कृत्य में शामिल व्यक्ति अथवा व्हिसल ब्लोअर को उत्पीड़ित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने अलावा जनलोकपाल ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा करने के लिए भी स्वतंत्र होगा।

धारा 27 – जनलोकपाल के सुझाव

इस अधिनियम के अंतर्गत अपने दायित्वों का निवर्हन करते समय यदि जनलोकपाल कोई ऐसी पद्धति या प्रक्रिया देखता है, जो उसकी राय में भ्रष्टाचार या कुप्रशासन का अवसर प्रदान करने वाली हो, तो वह इस बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकता है और ऐसी पद्धति या प्रक्रिया में सुधार के लिए जो उचित समझे वह सुझाव दे सकता है।

परंतु यह उपबंधित है कि इस अधिनियम के अंतर्गत जांच के दौरान यदि जनलोकपाल इस बात से संतुष्ट है कि सतत भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जनहित में कोई निवारक कार्रवाई आवश्यक है, तो वह सम्बद्ध सरकारी प्राधिकरण के किसी निर्णय के कार्यान्वयन या प्रवर्तन पर रोक लगा सकते हैं अथवा जनलोकपाल द्वारा अनुशंसित कोई सुधारात्मक कार्रवाई कर सकते हैं।

परंतु, यह और भी उपबंधित है कि सरकारी प्राधिकारी या तो जनलोकपाल की अनुशंसा पर अमल करेगा अथवा सिफारिश प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर लिखित कारण दर्ज करते हुए उसे रद्द कर देगा, ऐसा न करने पर यह समझा जाएगा कि की गई अनुशंसा को स्वीकार कर लिया गया है।

धारा 28 – संदेह निवारण के लिए

संदेहों का निपटारा करने के लिए एतदद्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम में किसी चीज को यह नहीं समझा जाएगा कि दिल्ली जनलोकपाल ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी आरोप की जांच नहीं करेगा, जिसके संदर्भ में समान मामले में कोई जांच या अन्वेषण लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) के अंतर्गत गठित लोकपाल के साथ लंबित हो।

धारा 29 – इस अधिनियम के प्रावधानों का प्रभाव अधिभावी होगा

किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रावधानों का प्रभाव अधिभावी होगा।

धारा 30 – नियम बनाने का अधिकार

(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार राजपत्र में अधिसूचना के जरिए और पूर्व प्रकाशन की शर्त के साथ नियम बना सकती है।

(2) विशेष रूप से, और पूर्ववर्ती अधिकारों की व्यापकता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नांकित मामलों में सभी या किसी के लिए प्रावधान कर सकते हैं अर्थात् :–

(क) धारा 3 के अंतर्गत गठित चयन समिति की कार्रवाइयां;

(ख) धारा 3 के अंतर्गत नियुक्त जनलोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों को देय भत्तों और पेंशन तथा उनकी अन्य सेवा शर्तें;

(ग) धारा 10 के अंतर्गत जनलोकपाल अन्वेषण अधिकारियों की भर्ती या अनुबंध की पद्धति और तरीका;

(घ) शिकायतों, अनुरोधों, विवरणियों और जानकारी के ट्रांसमिशन के लिए प्रारूप और प्रपत्र।

(ङ) धारा 13 की उप–धारा (1) के अंतर्गत साक्ष्य के साथ कुर्की आदेश विशेष अदालत को भेजने का ढंग;

(च) धारा 18 के अंतर्गत गठित विशेष अदालतों के गठन की पद्धति और ढंग तथा ऐसी विशेष अदालतों के लिए नियुक्त विशेष न्यायाधीशों की सेवा शर्तें;

(छ) धारा 22 के अंतर्गत खातों और अन्य सम्बद्ध रिकार्डों को रखने का प्रारूप और लेखों का वार्षिक विवरण तैयार करने का प्रारूप;

(ज) धारा 23 के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी द्वारा दाखिल की जाने वाली वार्षिक विवरणी का प्रारूप।

(झ) कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जाना है या निर्धारित किया जा सकता है और जिसके लिए इस अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं किया गया है या पर्याप्त प्रावधान नहीं किया गया है और सरकार की नजरों में इस अधिनियम के समुचित कार्यान्वयन के लिए अनिवार्य है।

(3) इस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया प्रत्येक नियम और इसकी धारा 21 के अंतर्गत जारी किया गया प्रत्येक आदेश, विनियमित या जारी किए जाने के बाद यथाशीघ्र विधानसभा में पेश किया जाएगा, जो विधानसभा का सत्र जारी रहने के दौरान, एक सत्र या दो और उससे अधिक निरंतर सत्रों के दौरान कुल 30 दिन की अवधि के भीतर पेश किए जाने चाहिए, और यदि सत्र की समाप्ति से पहले या अगले सत्र में या उत्तरोतर सत्रों में सदन उक्त नियम या आदेश में किसी संशोधन पर सहमत होता है, अथवा इस बात पर सहमत होता है कि उक्त नियम या आदेश, अधिनियमित या जारी न किया जाए, तो वह नियम या आदेश या तो संशोधित रूप में प्रभावी होगा अथवा प्रभावी नहीं होगा, जो भी स्थिति हो; परंतु, ऐसे किसी संशोधन या निरसन का उक्त नियम या आदेश के अंतर्गत पूर्व में किए गए किसी कार्य की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

धारा 31 – कठिनाइयां दूर करने का सरकार का अधिकार

इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने मे यदि कोई कठिनाई आती है, तो **सरकार** परिस्थिति के अनुसार आदेश के जरिए उस कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से जो भी आवश्यक समझे, वह उपाय कर सकती है;

परंतु, ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद जारी नहीं किया जाएगा।

धारा 32 – संक्रमणकालीन प्रावधान

(1) **दिल्ली जनलोकपाल अधिनियम, 2015** प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व लोकायुक्त के रूप में कार्य कर रहा हो, तथा दिल्ली लोकायुक्त अधिनियम, 2015 के प्रवृत्त होने की तिथि को लोकायुक्त के रूप में कार्य कर रहा हो, को इस अधिनियम के अतर्गत जनलोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त समझा जाएगा और उसे इस अधिनियम में वर्णित जनलोकपाल के अध्यक्ष के सभी अधिकार, कार्य और दायित्व उससे संबद्ध माने जायेंगे।

धारा 33 – 1996 का अधिनियम 1 निरस्त

दिल्ली लोकायुक्त और उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1995 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

दिल्ली जनलोकपाल विधेयक, 2015

लक्ष्यों और कारणों का अभिकथन

भारत में भ्रष्टाचार राष्ट्र की प्रगति और स्थिरता के लिए हानिकारक रहा है; इससे लोक संस्थानों की भूमिका उलट जाती है, लोकतांत्रिक प्रणाली की अवमानना होती है और अर्थव्यवस्था जड़ हो जाती है। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए केंद्र और राज्य, दोनों ही स्तरों पर एक कारगर और चुस्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण स्थापित करने की

आवश्यकता है, जिसे व्यापक अधिकार और कार्य सौंपे जा सकें, और जो देश की अन्य अन्वेषणात्मक और न्यायिक निकायों के साथ मिल कर काम कर सके।

दिसंबर, 2013 के लोगों के जनादेश को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार ने 'दिल्ली जन लोकपाल विधेयक, 2014' पेश करने का प्रयास किया था। परंतु, उक्त विधेयक पारित नहीं कराया जा सका।

दिल्ली जनलोकपाल विधेयक, 2015 दिल्ली में भ्रष्टाचार विरोधी कानून को नया रूप देने और उसे मजबूत बनाने का एक प्रयास है।

नये विधेयक का प्रमुख लक्ष्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को "भ्रष्टाचार मुक्त क्षेत्र" के रूप में स्थापित करना है।

इसलिए, वर्तमान विधेयक के जरिए दिल्ली में भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र और संस्थानों को सुदृढ़ बनाने तथा उन्हें अधिक, कारगर, तीव्रगामी, पारदर्शी, जवाबदेह और स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

वित्तीय ज्ञापन

दिल्ली जनलोकपाल विधेयक, 2015 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की समेकित निधि से वास्तविक व्यय के माध्यम से केन्द्रीय सरकार से किसी अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं होगी।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

दिल्ली जनलोकपाल विधेयक, 2015 विधेयक के उद्देश्यों के प्राप्त करने के लिये सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदत्त करता है।

जिस संबंध में नियम बनाये जाने हैं वे प्रशासनिक विस्तार एवं प्रक्रियाओं के हैं तथा विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का है।

एस. प्रसन्ना कुमार, सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

NOTIFICATION

Delhi, the 30th November, 2015

Bill No. 16 of 2015

THE DELHI JANLOKPAL BILL, 2015

No. 21 (16)/janlokpal/2015/LAS-VI/Leg./7209.—WHEREAS the Government is steadfastly committed to the establishment of the National Capital Territory of Delhi as a "Corruption Free Zone" and has made every effort to restore probity in public life;

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty Sixth year of the Republic of India as follows:-

Section 1 - Short title, extent and commencement

(1) This Act may be called the 'Delhi Janlokpal Act', 2015.

(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notifications in the official Gazette, appoint.

Section 2 - Definition

In this Act, unless the context otherwise requires –

(a) "allegation" means an allegation of corruption as defined in sub-section (e) of Section 2

(b) "Chief Minister" means the Chief Minister of Delhi appointed under clause (5) of Article 239 AA of the Constitution;

(c) "corruption" includes anything made punishable under Chapter IX of the Indian Penal Code, 1860 or under the Prevention of Corruption Act, 1988;

(d) "Delhi" means the National Capital Territory of Delhi;

(e) "Government" means the Government of the National Capital Territory of Delhi.

(f) "Legislative Assembly" means the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi;

(g) "Lieutenant Governor" means the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under Article 239 of the Constitution and who shall act in accordance with the aid and advice of the Council of Ministers;

(h) "Janlokpal", means the body appointed under Section 3 and shall include reference to any Member thereof;

(i); "Prescribed" means prescribed under the rules made under this Act;

(j) "rule" means a rule made under this Act;

(k) "Special Court" means the court of a Special Judge appointed under section 11G

(l) "whistleblower" means any person, who provides factual information with substance about corruption to a public authority in a case of corruption before the Janlokpal or any other person, who-

(i) faces threat of professional harm, including but not limited to illegitimate transfer, denial of promotion, denial of appropriate perquisites, departmental proceedings, discrimination; or

(ii) faces threat of physical harm to himself or herself or his or her family Members; or

(iii) is actually subjected to any harm;

because of making a complaint to the Janlokpal under this Act.

Section 3 - Appointment of Janlokpal

(1) For the purpose of conducting investigations and inquiries in accordance with the provisions of this Act, the Lieutenant Governor shall, appoint a three member body having one Chairperson and two Members to be known as the Janlokpal.

Provided that –

(a) the Chairperson and members of the Janlokpal shall be appointed on the basis of the recommendation of a Selection Committee consisting of-

(i) The Chief Justice of the High Court – Chairperson.

(ii) The Chief Minister of Delhi – member.

(iii) The Leader of the Opposition in the Legislative Assembly and if there is no such leader, a person selected in this behalf by the Members of the Opposition in that House in such manner as the Speaker may direct - member.

(iv) The Speaker of the Legislative Assembly – member

(b) No appointment of the Chairperson or a member of the Janlokpal shall be invalid merely by reason of any vacancy in the Selection Committee.

(c) The Selection Committee shall regulate its own procedure for selecting the Members of the Janlokpal.

(d) The recommendation of the Selection Committee shall be binding on the Lieutenant Governor who shall make the concerned appointment to the Janlokpal no later than thirty days from the date of receipt of the recommendation of the Selection Committee.

(2) A person shall not be qualified for appointment as –

(a) as Chairperson of the Janlokpal, unless he is or has been a judge of the Supreme Court or Chief Justice of any High Court in India, or a Judge of a High Court.

(b) a Member, unless such person is a person of eminence having obtained distinction, special knowledge and expertise in public administration, finance or investigation.

(3) Every person appointed as a Chairperson or a Member of the Janlokpal shall, before entering upon his office, make and subscribe before the Lieutenant Governor or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation in the form as prescribed by the Government under the Rules.

Section 4 – Janlokpal to hold no other office

The Chairman or member of the Janlokpal shall not be a member of Parliament or a member of the Legislative of any State or Union Territory and shall not hold any other office of profit and shall not be connected with any political party or be carrying on any business or practice any profession; and accordingly before he enters upon his office, a person appointed as the Chairman or a Member of the Janlokpal, shall –

(a) if he is a member of Parliament or of the Legislative of any State or Union Territory, resign such membership; or

(b) if he holds any office of profit resign from such office; or

(c) if he is connected with any political party, severe his connection with it; or

(d) if he is carrying on any business, severe his connection (short of divesting himself of ownership) with the conduct and management of such business; or

(e) if he is practicing any profession, suspend practice of such profession.

Section 5 - Duration of office and other conditions of service of Janlokpal

(1) Every person appointed as Chairperson or Member of Janlokpal shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office and not be eligible for re-appointment thereafter:

Provided that-

(a) Chairperson or Member of Janlokpal may, by writing under his hand addressed to the Lieutenant Governor, resign his office and such resignation shall be effective as soon as it is accepted by the Lieutenant Governor;

(b) Chairperson or Member of the Janlokpal may be removed from his office in the manner specified in Section 6.

(2) In the event of occurrence of any vacancy in the office of the Chairperson of the Janlokpal by reason of his death, resignation, removal or otherwise, the Lieutenant Governor may, by order, direct that the senior most of the Members, notwithstanding anything contained in clause (a) of sub-section (2) of Section 3, shall act as the Chairperson of the Janlokpal until the new Chairperson of the Janlokpal appointed in accordance with the provisions of this Act to fill such vacancy enters upon his office.

(3) When the Chairman of Janlokpal is unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other cause, the senior-most member of the Janlokpal or if there are more than one then such one of them as the Lieutenant Governor may, by order, direct, shall notwithstanding anything contained in clause (a) of sub-section (2) of Section 3, discharge his functions until the date the Chairman of Janlokpal resumes his duties.

(4) The Member of the Janlokpal shall, during and in respect of the period while he is so acting as or discharging the functions of Chairman of Janlokpal, have all the powers and immunities of the Chairman of Janlokpal and be entitled to salary, allowances and perquisites as are specified in the Rules in relation to Chairman of Janlokpal.

(5) A vacancy occurring in the office of the Janlokpal by reason of his death, resignation, removal or otherwise shall be filled in as soon as possible but not later then six months from the date of occurrence of such vacancy.

(6) On ceasing to hold office, the Janlokpal shall be ineligible for further appointment in any employment under Government of Delhi or GOI or for any employment under any such Government Company, local authority, corporation under the administrative control of the Government of Delhi or GOI or Statutory Commissions set up by the Government of Delhi or GOI.

Provided however that upon completion of one term as a Chairperson or member of the Janlokpal, such person shall be entitled to be considered for one additional term as either a Chairperson or as a Member of the Janlokpal.

(7) The salaries, allowances and pension payable to, and other conditions of service of, Chairperson and Members of the Janlokpal shall be such as may be prescribed;

Provided that-

(a) in prescribing the allowances and pension payable to and other conditions of service of, Chairperson of the Janlokpal, regard shall be had to the allowances and pensions payable to and other conditions of service of Chief Justice or a Judge of a Supreme Court or High Court, as the case may be;

(b) in prescribing the allowances and pension payable to and other conditions of service of Members of the Janlokpal regard shall be had to the allowances and pension payable to, and other conditions of service of a District Judge in Delhi or a Secretary to the Government or a Joint Secretary to the Government of India, as the case may be;

Provided further that the allowances and pension payable to, and other conditions of service of, the Chairperson or Members of the Janlokpal shall not be varied to his disadvantage after his appointment.

Section 6 - Removal of Chairperson or Members of the Janlokpal

(1) The Chairperson or a Member of the Janlokpal shall not be removed from his office except by an order of the Lieutenant Governor passed after an address by the Legislative Assembly supported by a majority of the total membership of the legislative Assembly and by a majority not less than two thirds of the members thereof present and voting has been presented to the Lieutenant Governor in the same session for such removal on the ground of proved misbehavior or incapacity.

(2) The procedure for the presentation of an address and for the investigation and proof of the misbehavior or incapacity of the Chairperson or a Member of the Janlokpal under sub-section (1) shall be as prescribed in the Rules.

Section 7 - Matter which may be inquired into by Janlokpal

Subject to the provisions of this Act, on receiving complaints from the Government or from members of the public or suo motu, the Janlokpal may proceed to inquire or investigate into the allegation of 'corruption' occurring in the National Capital Territory of Delhi.

Provided that no inquiry shall be instituted on grounds of technical or procedural lapses in acts performed by public servants in good faith during the course of their official duties unless there is malafide.

Section 8 - Matter not subject to inquiry

The Janlokpal shall not inquire into any matter –

(i) which has been referred for inquiry under the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952); or

(ii) relating to which any inquiry is already pending with the Lok Pal constituted under the Lok Pal and Lok Ayuktas Act, 2013 (1 of 2014)

Section 9 - Provisions relating to complaints

(1) Every complaint shall be made in such form and in such manner as may be prescribed by the Janlokpal.

(2) Every person who willfully or maliciously makes any false complaint under this Act, shall, on conviction, be punished with rigorous imprisonment which may extend to one year or with fine which may extend to one lakh rupees or with both.

Provided that no court shall take cognizance of an offence punishable under this section except on a complaint made by or under the authority of the Janlokpal, as the case may be;

Provided further that a decision of the Janlokpal not to take action on any complaint or failure to prove complaint due to lack of evidence shall not by itself tantamount to such complaint being deemed to be willfully or maliciously false.

Section 10 - Investigation and Prosecution powers of the Janlokpal.

(1) The Janlokpal may appoint or, with the consent of the Government, designate officers or agencies as Investigation Officers, authorized to investigate offences under this Act (hereinafter "Janlokpal Investigating Officer").

(2) A Janlokpal Investigating Officer shall have all the powers which are vested in a police officer while investigating offences under the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

(3) The Chairperson and all Members of the Janlokpal and all other officers of the Janlokpal, superior in rank to a Janlokpal Investigating Officer, may exercise the same powers as may be exercised by such Janlokpal Investigating Officer.

(4) While investigating any offence under this Act, the Janlokpal shall be competent to investigate any other offence under any other law, which forms a part of the same transaction.

(5) Notwithstanding anything in this provision, the Janlokpal may, for the purpose of conducting any inquiry or investigation, utilise the services of any officer or organisation or investigation agency of the Central Government or the Government or any other government of any state or Union Territory, as the case may be. Provided however that if any law requires any prior consent or approval to be obtained for securing the assistance of any investigating agency or specialized investigating agency, the Janlokpal shall ensure all requisite compliances.

(6) For the purpose of inquiry or investigating into any matter, any officer or organisation or agency whose services are utilised under sub-section (5), may subject to the superintendence and direction of the Janlokpal exercise the powers of a civil court to ensure, -

(a) summon and enforce the attendance of any person and examine him;

(b) require the discovery and production of any document; and

(c) requisition any public record or copy thereof from any office.

(7) The officer or organisation or agency whose services are utilised under subsection (5), as the case may be, shall inquire or investigate into any matter pertaining to the inquiry or investigation and submit a report thereon to the Janlokpal within such period as may be specified by it in this behalf.

(8) Every Janlokpal Investigating Officer shall endeavor to complete the investigation into any case within a period of six months.

Provided however that, if required, such officer or agency may obtain extension of time from the Janlokpal, subject to the condition that ordinarily the investigation shall be completed within a period not exceeding twelve months.

(9) Upon receipt of a report on the conclusion of the investigation, Janlokpal may consider grant of prosecution sanction against the public servants for offences committed under this act. Prosecution sanction under Section 197 of the Code of Criminal Procedure (Act 2 of 1974) or Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) shall be deemed to have been granted once such sanction has been granted by Janlokpal.

(10) The Janlokpal shall also constitute a prosecution wing and appoint a Director of Prosecution and such other officers and employees to assist the Director of Prosecution for the purpose of prosecution of public servants in relation to any complaint made under this act.

(11) After the approval of the Janlokpal, the Director of prosecution shall file a case before the special court and take all necessary steps in respect of the prosecution of the public servants in relation to any offence punishable under this act.

Section 11 - Applicability of Code of Criminal Procedure

The provisions of the code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), shall as nearly as may be, apply to the procedure of inquiry and investigation by Janlokpal.

Section 12 - Provisional attachment of assets

(1) Where the Janlokpal has reason to believe, the reason for such belief to be recorded in writing, on the basis of material in his possession, that

(a) any person is in possession of any proceeds of corruption;

(b) such person is accused of having committed an offence relating to corruption; and

(c) such proceeds of offence are likely to be concealed, transferred or dealt with in any manner which may result in frustrating any proceedings relating to confiscation of such proceeds of offence, the Janlokpal may, by order in writing, provisionally attach such property for a period not exceeding ninety days from the date of the order, in the manner provided in the Second Schedule to the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) and the Janlokpal shall be deemed to be an officer under sub-rule (e) of rule 1 of that Schedule.

(2) The Janlokpal shall, immediately after attachment under sub-section (1), forward a copy of the order, along with the material in his possession, referred to in that subsection, to the Special Court, in a sealed envelope, in the manner as may be prescribed and such Special Court may extend the order of attachment and keep such material for such period as the Special Court may deem fit.

(3) Every order of attachment made under sub-section (1) shall cease to have effect after the expiry of the period specified in that sub-section or after the expiry of the period as directed by the Special Court under sub-section (2).

(4) Nothing in this section shall prevent the person interested in the enjoyment of the immovable property attached under sub-section (1) or sub-section (2), from such enjoyment.

Explanation. For the purposes of this sub-section, "person interested", in relation to any immovable property, includes all persons claiming or entitled to claim any interest in the property.

Section 13 - Confirmation of attachment of assets

(1) The Janlokpal when it provisionally attaches any property under sub-section (1) of section 12 shall, within a period of thirty days of such attachment, file an application stating the facts of such attachment before the Special Court and make a prayer for confirmation of attachment of the property till completion in Special Court of the proceedings against the person whose property is so attached.

(2) The Special Court before whom such an application is made, may, if it is of the opinion that the property provisionally attached had been acquired through corrupt means, make an order for confirmation of attachment of such property till the completion of the proceedings in court against the person whose property is confiscated.

(3) If the person whose property is confiscated is subsequently acquitted of the charges framed against him, the property, subject to the orders of the Court, shall be restored to the concerned person along with benefits from such property as might have accrued during the period of attachment.

(4) If the person whose property is attached is subsequently convicted of any offence, the proceeds relatable to the offence under the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) shall be confiscated and vest in the Government of the National Capital Territory of Delhi free from any encumbrance or leasehold interest excluding any debt due to any bank or financial institution.

Explanation. For the purposes of this subsection, the expressions "bank", "debt" and "financial institution" shall have the meanings respectively assigned to them in clauses (d), (g) and (h) of section 2 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993(51 of 1993).

Section 14 - Confiscation of assets, proceeds, receipts and benefits arisen or procured by means of corruption in special circumstances

(1) Without prejudice to the provisions of sections 12 and 13, where the Special Court, on the basis of prima facie evidence, has reason to believe or is satisfied that the assets, proceeds, receipts and benefits, by whatever name called, have arisen or procured by means of corruption as defined under the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988), it may authorise the confiscation of such assets, proceeds, receipts and benefits till the disposal of the person accused of any offence

(2) Where an order of confiseation made under sub-section (1) is modified or annulled by the High Court or where the person whose property is confiscated is acquitted by the Court, the assets, proceeds, receipts and benefits, confiscated under sub-section (1) shall be returned to such person, and in case it is not possible for any reason to return the assets, proceeds, receipts and benefits, such person shall be paid the price thereof including the money so confiscated with interest at the rate of five per eent per annum thereon ealculated from the date of confiscation.

Section 15 - Power of Janlokpal to recommend transfer or suspension of public servant connected with allegation of corruption.

(1) Where the Janlokpal, while making a preliminary inquiry or investigation into allegations of corruption, is prima facie satisfied, on the basis of evidence available,

(i) that the continuance of the public servant being investigated remaining in his post while conducting the inquiry is likely to affect such inquiry adversely; or

(ii) such public servant is likely to destroy or, in any way, tamper with the evidence or influence witnesses, then, the Janlokpal may recommend to the appropriate government or authority for the transfer or suspension of such public servant from the post held by him till such period as may be specified in the order.

(2) The appropriate government or authority shall ordinarily accept the recommendation of the Janlokpal made under sub-section (1), except for the reasons to be recorded in writing in a case where it, is not feasible to do so for administrative reasons.

Section 16 - Power of the Janlokpal to give directions to prevent destruction of records during preliminary inquiry.

The Janlokpal may, in the discharge of its functions under this Act, issue appropriate directions to a public servant entrusted with the preparation or custody of any document or record

(a) to protect such document or record from destruction or damage; or

(b) to prevent the public servant from altering or 'secret' ing such document or record; or

(c) to prevent the public servant from transferring or alienating any assets allegedly acquired by him through corrupt means.

Section 17 - Quantum of punishment.

(1) After completion of investigation in any case against a public servant, the Janlokpal may either drop a complaint or initiate prosecution against such public servant and/or recommend initiation of disciplinary proceedings against any such public servant.

(2) Notwithstanding anything contained in the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988), where any person is convicted for any act of corruption defined and investigated under this Act - or under the Prevention of Corruption Act. 1988 he shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than six months and may extend up to ten years and may, and in rarest of rare cases, extend up to imprisonment for life for special reasons to be recorded in writing and with fine.

Provided that the Special Court may, for reasons to be recorded in writing, award imprisonment for a term of less than six months.

(3) While awarding punishment, the Special Court may take into consideration the rank of the public servant while awarding him punishment and the Special Court may award higher punishment to a public servant holding higher rank.

(4) If the beneficiary of an offence is a business entity, in addition to the punishment provided for under this Act and or under the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988), a fine of up to five times the loss caused to the public exchequer, but not less than the loss caused, shall be recovered from the convict and the recovery may be made from the assets of the convicted business entity and from the personal assets of its Managing Directors or Directors or any other person responsible for the management and control of such entity, if the assets of the convicted person are inadequate.

(5) If any company or any of its officer or Director is convicted for any offence under this Act or the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) then that company shall be blacklisted and be ineligible for undertaking any Government work or contract in future and where a promoter or Managing Director of a company is convicted for any offence under this Act or the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) then all companies where such promoter or Managing Director is a promoter or Managing Director shall be blacklisted and be ineligible for undertaking any Government work or contract in future.

Section 18 - Constitution of Special Courts

(1) The Government may, in consultation with the Chief Justice of the High Court of Delhi, constitute such number of Special Courts, as recommended by the Janlokpal, to hear and decide the cases arising out of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) or under this Act.

(2) The Court(s) or the Special Court(s) constituted under sub-section (1) shall ensure completion of each trial within a period of six months from the date of filing of the case in the Court.

Provided that in case the trial cannot be completed within a period of six months, the Court or Special Court(s) shall record reasons therefore and complete the trial within a further period of not more than three months or such further periods not exceeding three months each, for reasons to be recorded in writing before the end of each such three month period, but not exceeding a total period of one year.

Provided further that no court shall stay proceedings instituted pursuant to any investigation undertaken by the Janlokpal under this Act on any grounds and no Court shall exercise powers of revision in respect of any interlocutory order passed in any inquiry, trial, appeal or other proceedings.

(3) To achieve the objective of a speedy trial, the Janlokpal shall make an annual assessment of the number of Special Courts required for this purpose and shall make a recommendation to the Government for creating requisite number of Special Courts under Sub-section (1).

(4) The special Judge of Special Courts set up to hear cases under this Act will deal only with cases under this Act and the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988).

Section 19 - Reports of Janlokpal

It shall be the duty of the Janlokpal to present annually to the Government a report on the work done by Janlokpal and on receipt of such report, the Government shall cause a copy thereof together with an explanatory memorandum to be laid before the Legislative Assembly.

Section 20 - Staff of Janlokpal

The Government shall in consultation with the Janlokpal, provide officers and other employees to assist the Janlokpal in the discharge of their functions under this Act.

Section 21 - Secrecy of Information

Any information obtained by the Janlokpal or members of their staff in the course of or for the purposes of any investigation under this Act, and any evidence recorded or collected in connection with such information shall be treated as confidential and notwithstanding anything contained in the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872), no court shall be entitled to compel the Janlokpal or any public functionary to give evidence relating to such information or produce the evidence so reported or collected.

Section 22 - Accounts and audit of Janlokpal

(1) The Janlokpal shall maintain proper accounts and other relevant records and shall prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed by the Government in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India.

(2) The accounts of the Janlokpal shall be audited by the Comptroller and Auditor General of India, at such intervals as may be specified by him.

(3) The Comptroller and Auditor-General of India or any person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the Janlokpal under this Act, shall have the same rights, privileges and authority in connection with such audit, as the Comptroller and Auditor-General of India generally has, in connection whit the audit of the Government accounts and, in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the offices of the Janlokpal.

(4) The accounts of the Janlokpal, as certified by the Comptroller and Auditor- General of India or any other person appointed by him in this behalf, together with the audit report thereon, shall be forwarded annually to the Government and the Government shall cause the same to be laid before the Legislative Assembly of Delhi.

23 - Property statements of Public servants.

(1) Every public servant as defined under Sub-section (c) of section 2 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (Act 49 of 1988), working for the Government or its statutory authority(ies) or corporations (MCDs) or Delhi Development Authority (DDA) or Delhi Police shall within three months after the commencement of this Act and thereafter by 31st January of every year submit to his employer or the authority to which his services stand deputed, an annual statement of his assets and liabilities and those of the dependent Members of his family in such manner and in such format as may be prescribed by the Janlokpal.

Explanation: - In this section "family" of a public servant means the spouse, the children, dependent parents and such other relations of the public servant as are dependent upon him.

(2) If such statement is not submitted by the public servant by 31st January of that year, payment of his pay and salary shall be stopped by the public authority with immediate effect till the statement is filed.

(3) The Head of each public authority or such other authority as may be prescribed shall ensure that all such statements are put on its website by end of February of that year.

(4) If it is found that the public servant owns some property which was not disclosed in his statement of assets, that property may be ordered to be confiscated by the Janlokpal after affording a reasonable opportunity of hearing to such public servant.

24 - Bar on re-appointment of public servants and transparency in contracts etc

No public servant, for a period of two years immediately after, he ceases to be such public servant, shall be eligible to take up any employment, assignment, consultancy, etc. with or for any person, private company or firm or public private partnership or private organization with which he had substantially dealt with in his official capacity during the last period of five years immediately before he ceased to be the public servant.

Provided that if there is a confusion whether a Government servant can take up a job, Janlokpal's decision shall be final.

Section 25 – Protection of actions taken by Janlokpal

(1) No suit, prosecution or other legal proceeding shall be against the Janlokpal or against any member of the staff of the office of the Janlokpal in respect of anything which is done or intended to be done in good faith under this Act.

(2) Save and otherwise provided in this Act, no proceedings, decision, order or any report of the Janlokpal, as the case may be including any recommendation made there under, shall be liable to be challenged, reviewed, quashed, modified or called in question in any manner whatsoever in any court or tribunal.

Section 26 - Protection for Whistle-blowers

(1) Any public official or any other person having information regarding corruption in any public authority would be encouraged to send the information confidentially to the Janlokpal, and Janlokpal may get an inquiry conducted into such information and if necessary order an investigation in the matter under this Act.

(2) The Janlokpal may issue necessary orders to provide full protection to whistle blowers from any threat of physical harm or administrative harassment and identity of such whistle blowers shall be kept strictly confidential and protected if the whistle blower so desires.

(3) It shall be competent for the Janlokpal to give suitable directions to the Government or any other public authority for providing security to such whistle blower and to ensure that no harassment is caused to such whistle blower.

(4) If the Janlokpal is satisfied upon inquiry or investigation, that the complaint of the whistle blower is genuine, in addition to criminal action as may be taken under this Act against such person involved either in the act of corruption or in the harassment of such whistle blower, it would also be open to the Janlokpal to recommend disciplinary action against such person."

Section 27 - Janlokpal to make suggestions

The Janlokpal, if in the discharge of his functions under this Act, notices a practice or procedure which in his opinion affords an opportunity for corruption or mal administration, he may bring to the notice of the Government and may suggest such improvement in the said practice or procedure as he may deem fit.

Provided that during any investigation under this Act, the Janlokpal is satisfied that any preventive action is necessary in public interest to prevent the ongoing incident of corruption, it may make any recommendation to the public authority concerned to stay the implementation or enforcement of any decision or take any such corrective action as is recommended by the Janlokpal.

Provided further that the public authority shall either comply with the recommendation of the Janlokpal or reject the same for reasons to be recorded in writing within thirty days of the recommendation thereof, failing which the recommendation so made shall be deemed to have been accepted and would have to be enforced.

Section 28 - For the removal of doubts

For the removal of doubts it is hereby declared that nothing in this Act shall be construed to bar the Delhi Janlokpal from continuing to inquire into an allegation against any person in respect of whom an investigation or inquiry into the very same allegation is subsequently initiated by the Lokpal constituted under The Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014).

29 - Provisions of this Act to have an overriding effect-

Notwithstanding anything contained in any other law, the provisions of this Act shall have an overriding effect.

Section 30 - Powers to make Rules

(1) The Government may, by notification in the official Gazette and subject to the condition of previous publication, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the proceedings of the Selection Committee constituted under Section 3;

(b) the allowances and pension payable to and other conditions of service of the Chairperson and Members of the Janlokpal appointed under Section 3;

(c) the method and manner of recruitment or engagement of Janlokpal Investigation Officers under Section 10;

(d) the format and forms for complaints, transmission of requests, returns and information;

(e) the manner of sending the order of attachment along with the material to the Special Court under sub-section (1) of Section 13;

(f) the method and manner of constitution of the Special Courts constituted under Section 18 and the terms and conditions of service of the Special Judges engaged for such Special Courts.

(g) the form of maintaining the accounts and other relevant records and the form of annual statement of accounts under Section 22;

(h) the form of annual return to be filed by a public servant under Section 23;

(i) any other matter which is to be or may be prescribed in respect of which this Act makes no provision or makes insufficient provision and provision is in the opinion of the Government necessary for the proper implementation of this Act.

(3) Every rule made under this Act and every order issued under section 21 shall be laid as soon as may be after it is made or issued before the Legislative Assembly while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, the House agrees in making any modification in the rule or order or the House agrees that the rule or order should not be made or issued, the rule or order, shall thereafter have

effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule or order.

Section 31 - Power of Government to remove difficulties

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order as occasion requires, do anything which appears to it to be necessary for the purpose of removing the difficulty;

Provided that no such order shall be made after the expiration of two years from the date of the commencement of this Act.

Section 32 – Transitional Provisions

Any person who has been appointed as Lokayukta before the coming into force of the Delhi Janlokpal Act, 2015, and who had been functioning as Lokayukta on the date of the coming into force of the Delhi Janlokpal Act, 2015, shall be deemed to have been appointed as the Chairman of the Janlokpal under this Act, and shall have all the powers, functions and responsibilities of the Chairman of Janlokpal that have been laid down in this Act.

Section 33 - Repeal of Act 1 of 1996

The Delhi Lokayukta and Upalokayukta Act 1995 is hereby repealed.

DELHI JANLOKPAL BILL, 2015

Statement of Objects and Reasons

Corruption in India has been pernicious to the nation's progress and stability; by subverting the role of public institutions, undermining the democratic system and coagulating the economy. It cannot be overstated that the eradication of corruption requires the establishment of an effective and expeditious anti-corruption authority, both at Central and State level, having detailed powers and functions, which works in tandem with the other investigative and judicial bodies of the country.

To give effect to the people's mandate of December, 2013, the Government attempted to introduce the 'Delhi Jan Lokpal Bill, 2014' However, the said legislation could not be passed.

The Delhi Janlokpal Bill, 2015 is an attempt at revamping and strengthening the anti-corruption legislation in Delhi.

The principal aim of the new Bill is to realize the object of establishing the National Capital Territory as a "Corruption Free Zone".

Therefore, through the present Bill, the anti-corruption mechanism and institutions in Delhi are sought to be strengthened, and made more efficacious, expeditious, transparent, accountable, and independent.

FINANCIAL MEMORANDUM

The "Delhi Jan Lokpal Bill, 2015" does not involve any additional financial assistance from the Central Government through substantive expenditure from the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

"Delhi Jan Lokpal Bill, 2015" confers on the Government the power to make rules to carry out the objectives of the Bill.

The matters in respect of which rules may be made are matters of administrative detail and procedures and, as such, the delegation of legislative power is of a normal character.

PRASANNA KUMAR SURYADEVARA, Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.